



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 26.08.2023 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी।

1-दुष्कर्म करने का आरोपी को थाना बिलारी पुलिस ने किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 20-08-2023 को वादी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-339/2023 धारा- 376/452/506 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम मे आज दिनांक 26-08-2023 को निरीक्षक अपराध श्रीमती ऊषा मलिक थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र श्री तेजपाल सिंह नि0 ग्राम बनियाठेर थाना बिलारी,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।



2-जुआ खेलते हुए 02 आरोपी गिरफ्तार,थाना सिविल लाइन्स:-

अवगत कराना है दिनांक 25.08.2023 को उ0नि0 श्री मृदुल कुमार थाना सिविल लाइन्स,मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्तगण 1.विशाल पुत्र जगदीश निवासी मौ0 रामलीला ग्राउण्ड कस्बा अगवानपुर थाना सिविल लाइन्स,मुरादाबाद 2.सारिक पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी ततारपुर अगवानपुर थाना सिविल लाइन्स,मुरादाबाद को जुआ खेलते हुए 52 ताश के पत्तें तथा 1500/-रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-720/2023 धारा-13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।



3-सट्टे की खाईबाडी करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार,थाना सिविल लाइन्स:-

अवगत कराना है आज दिनांक 26.08.2023 को उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना सिविल लाइन्स,मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्त मोहित पुत्र स्व: राजू निवासी आदर्श कालोनी थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद को सट्टे की खाईबाडी करते हुए गिरफ्तार कर कब्जे से 01 पर्चा, सट्टा डायरी,01 पैन व 940 रूपये बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-721/2023 धारा-13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।



4-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार,थाना सिविल लाइन्स:-

अवगत कराना है आज दिनांक 26.08.2023 को उ0नि0 श्री प्रबोध कुमार थाना सिविल लाइन्स,मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्त लोकेन्द्र पुत्र धर्मसिंह निवासी नया गांव गुलाब बाग थाना सिविल लाइन्स,मुरादाबाद को मय एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-727/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।



5- अवैध 800 ग्राम गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार,थाना सिविल लाइन्स:-

अवगत कराना है आज दिनांक 26.08.2023 को उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना सिविल लाइन्स,मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्त विकास पुत्र स्व0 महेश निवासी आदर्श कॉलोनी थाना सिविल लाइन्स,मुरादाबाद को मय 800 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-728/2023 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।



6-थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत गौकशी की हुई घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना कटघर पुलिस ने घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2023 की रात्रि में थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत ग्राम देवापुर में अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा गौवंशीय पशु (बैल) की हत्या की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24.08.2023 को उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा थाना कटघर पर मु0अ0सं0- 415/2023 धारा- 3/8 सीएस एक्ट व धारा- 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत कराया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार जनपद में गौकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा गौवंशीय पशुओं की हत्या करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान तथा उक्त घटना के शीघ्र, सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी कटघर के पर्यवेक्षण में थाना कटघर पर टीम का गठन किया गया। थाना कटघर पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्यों की आधार पर आज दिनांक 26.08.2023 को घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त सलमान पुत्र गामा नि० ग्राम देवापुर थाना कटघर जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में संलिप्त अन्य अभियुक्तगण की तलाश थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।



पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त सलमान उपरोक्त द्वारा बताया कि मेरे व शाकिर के भाई व अन्य 5-6 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें मैं जेल गया था। शाकिर ने वादी के भाई के साथ मिलकर फैसला कर लिया तथा मुझे व नूर मौहम्मद के भाई को अपनी जमानत करानी पड़ी थी। मैंने, नूर मौहम्मद व अनीस के साथ मिलकर योजना बनाई कि शाकिर व विरोधियों को फंसाया जाये। शाकिर के हॉल के सामने मुनेश के बैल बंधे थे। उसमें से एक बैल चोरी करके मैं तथा नूर मौहम्मद, शाकिर के हॉल का ताला तोड़कर बैल को खींचते हुये शाकिर के हॉल में ले गये और बैल को कुल्हाड़ी से उसके गले पर तेज वार करके सांस की नली काटकर उसकी हत्या कर दी। हम दोनों के अलावा दो और आदमी थे, जिन्हें नूर मौहम्मद जानता है। हमने बैल को मारकर गेट बन्द कर दिया था तथा हम लोग वहां से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सलमान पुत्र गामा निवासी ग्राम देवापुर थाना कटघर, मुरादाबाद

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान:-

1. मु०अ०सं० 635/2017 धारा 147/148/323/427/504/506 भादवि थाना कटघर, मुरादाबाद।
2. मु०अ०सं० 649/2022 धारा 17/148/149/308/323/504/506 भादवि थाना कटघर, मुरादाबाद।
3. मु०अ०सं० 415/23 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि० व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटघर, मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश सिंह थाना कटघर, मुरादाबाद।
- नि०अ० श्रीमती शगुफ्ता रिजवी थाना कटघर, मुरादाबाद।
- उ०नि० श्री अमित कुमार थाना कटघर, मुरादाबाद।
- उ०नि० श्री सुरेन्द्र कुमार थाना कटघर, मुरादाबाद।
- हे०का० अंकुल कुमार थाना कटघर, मुरादाबाद।
- हे०का० नीरज कुमार थाना कटघर, मुरादाबाद।

7-पत्नी की हत्या करने के वांछित आरोपी पति को थाना भोजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।*

अवगत कराना है दिनांक 25.08.2023 को वादी निवासी जनपद ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड ने अभियुक्तगण वादी की बहन की हत्या कर देने के संबंध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0-0288/2023 धारा 147/2023 भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में घटना के अनावरण तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी दिये गये आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के नेतृत्व में थाना भोजपुर पुलिस टीम ने विवेचनात्मक कार्यवाही व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 26.08.2023 को महिला की हत्या करने के आरोपी सोमवीर पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम पीपलसाना की मिलक थाना भोजपुर, मुरादाबाद को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया।



पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त सोमवीर उपरोक्त ने बताया कि दस वर्ष पहले मेरी शादी जनपद ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड के एक परिवार में हुई थी। मेरे तीन बच्चे भी हैं। मैं तथा मेरी पत्नी कल धान की निराई गुड़ाई करने के लिए खेत पर गये थे। मैं शराब पीने का आदी हूँ। मेरी पत्नी शराब पीने को मना करती थी। इसी बात को लेकर हम दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा, मेरी पत्नी खेत में पड़े ब्लेड को उठाकर अपने हाथों में मारने लगी तथा कहने लगी कि तुम शराब पीने से नहीं मान रहे हो मैं मर जाऊँगी, बच्चे पाल लेना। इसी बात पर हम दोनों में आपस में गाली गलौच होने लगी, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी पत्नी के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और उसकी मृत्यु हो गयी। मैं अपनी पत्नी को जिन्दा समझ कर इलाज के लिए उठाकर गांव में अपने घर ले आया घर पर काफी लोग आने लगे तथा वह कहने लगे यह तो मर गयी है तो मैं डर की वजह से घर से भाग गया था। आज कोर्ट में हाजिर होने के लिए वकील के पास जाने के लिए खड़ा था जहाँ पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:—

सोमवीर पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम पीपलसाना की मिलक थाना भोजपुर, मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरण:—

घटना में प्रयुक्त मृतका का दुपट्टा।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 0288/2023 धारा 147/302 भादवि थाना भोजपुर, मुरादाबाद।

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 श्री अमरनाथ वर्मा थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
3. उ0नि0 श्री महेशचन्द थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
4. म0उ0नि0 दिव्या भारद्वाज थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
5. कां0 अतुल कुमार थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
6. कां0चा0 संदीप कुमार थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद